



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255038
CG-DL-E-29062024-255038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 2024/आषाढ 8, 1946

No. 166]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 2024/ASHADHA 8, 1946

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 15/2024

विषय: बहरीन, चीन जन.गण. और थाईलैंड में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच।

फा.सं. 6/17/2024-डीजीटीआर.—ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा जाएगा) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए लेखों की पहचान, आकलन और उन पर पाटन रोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "नियम" कहा जाएगा) के अनुसार नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बहरीन, चीन जन. गण. और थाईलैंड (जिसे आगे "विषयगत देश" कहा जाएगा) में उत्पन्न या वहाँ से निर्यात किए गए "ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं" के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग की गई है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए कथित डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है और उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विषय जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'ग्लास फाइबर उससे बनी वस्तुए' हैं, जिसमें ग्लास रोविंग, दोनों इकट्टे रोविंग (एआर) और डायरेक्ट रोविंग्स (डीआर), ग्लास कटा हुआ स्ट्रैंड्स (सीएस) और ग्लास कटा हुआ स्ट्रैंड्स मैट (सीएसएम) शामिल हैं। इसके बाद विचाराधीन उत्पाद को 'पीयूसी' या विषयगत सामान' या 'ग्लास फाइबर' भी कहा जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद चूना पत्थर, मिट्टी और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख कच्चे माल का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ खनिजों का बैचिंग या मिश्रण, उच्च तापमान पर भट्टी में खनिजों का पिघलना, फाइबरीकरण, आकार, इलाज और अंत में, निर्माण शामिल है।

5. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- क. ग्लास बुल
- ख. फाइबर ग्लास बुल,
- ग. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इन्सुलेशन,
- घ. काँच का धागा,
- ङ. ग्लास बूवेन फैब्रिक्स,
- च. ग्लास फाइबर फैब्रिक्,
- छ. ग्लास बूवेन रोविंग्स,
- ज. थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए कटे हुए धागे,
- झ. 0.3 से 2.5 माइक्रोन की सीमा में फाइबर व्यास के साथ माइक्रो ग्लास फाइबर
- ञ. सतह चटाई/सतह पर्दा/ऊतक,
- ट. गीले कटा हुआ स्ट्रैंड,
- ठ. केम्पिल (कंक्रीट सुदृढीकरण के लिए क्षार प्रतिरोधी ग्लास फाइबर)।

6. विषय वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 70 के तहत शीर्षक 7019 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबंधित वस्तुओं को वर्गीकृत किया गया है और 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 13 00, 7019 14 00, 7019 15 00, 7019 19 00, 7019 61 00, 7019 63 00, 7019 69 00, 7019 71 00, 7019 72 00, 7019 80 00 और 7019 90 00 सहित कई कोड के तहत आयात किया गया है। 1 जनवरी 2022 से पहले, संबंधित वस्तुओं को 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 00, 7019 31 00, 7019 32 00, 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 51 00, 7019 52 00, 7019 59 00, 7019 90 10 और 7019 90 90 के तहत आयात किया गया था। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. लागत और मूल्य के संदर्भ में अंतर को देखते हुए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित किए गए हैं।

क्र.सं.	विचाराधीन उत्पाद का प्रकार	कोड विवरण
1.	डायरेक्ट ग्लास रोविंग्स	डीआर या टी -30
2.	इकट्टे ग्लास रोविंग्स	एमइआर
3.	कांच की कटी हुई किस्में	डीयूसीएस
4.	ग्लास कटा हुआ स्ट्रैंड मैट	सीएसएम

8. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, को प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन/दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुच्छेद 28 में दर्शाया गया है।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और विषयगत देशों से निर्यात की गई वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और विषयगत देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषयगत वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। विषयगत वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को *प्रथम दृष्टया* विषयगत देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. आवेदन ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में इस तरह की वस्तु के निर्माण में लगी एक अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसका नाम गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड है। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, आवेदक और गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड भारत में पीयूसी के केवल दो उत्पादक हैं और उनका उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% है, जिसमें से आवेदक कुल घरेलू उत्पादन का 84% है। आवेदक ने आगे बताया है कि उसने संबंधित देशों से पीयूसी का आयात किया है और यह संबंधित देशों के निर्यातकों से संबंधित है। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात बहुत कम हैं।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण *प्रथम दृष्टया* मानता है कि आवेदक एडी नियमों के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन एडी नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. विषय देश

12. वर्तमान जांच के लिए विषय देश बहरीन, चीन जन. गण. और थाईलैंड हैं।

ङ. जांच की अवधि

13. आवेदक ने अपने आवेदन में जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 (9 महीने) का प्रस्ताव किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) तक जांच की अवधि (इसके बाद 'पीओआई' के रूप में संदर्भित) और क्षति परीक्षा अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई पर विचार किया है।

च. प्रक्रिया

14. इस जांच में पाटन रोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

छ. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जनगण के उत्पादक यह नहीं दर्शाते

कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. इसलिए, इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जो उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

बहरीन और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने दावा किया है कि बहरीन और थाईलैंड में कीमत से संबंधित डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से अन्य देशों को संबंधित वस्तुओं का निर्यात मूल्य भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

18. इसलिए, जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए, सामान्य मूल्य की गणना उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है। प्राधिकरण जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इच्छुक पार्टियों और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए सबूतों की जांच करेगा।

निर्यात मूल्य

19. विषय देशों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान प्रणाली महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। तत्पश्चात् प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबंधित देशों से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारण संबंध

21. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। विषय देशों से विषय आयात की मात्रा निरपेक्ष और साथ ही सापेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आवेदक का तर्क है कि विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। समग्र रूप से विषय देशों से कम कीमत सकारात्मक है। पाटित आयातों के कारण मूल्य में कमी और मंदी घरेलू उद्योग को उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने से रोक रही है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों में भी वृद्धि हुई है।

झ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद, संबंधित वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित किए गए आयातों के बीच कारण संबंध, और पाटन रोधी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, एतद्वारा, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ब. जानकारी प्रस्तुत करना

23. सभी संचार dir11-dgtr@gov.in ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए और adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ dd16-dgtr@gov.in किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिन्हें संबंधित वस्तुओं से संबद्ध होने के लिए जाना जाता है, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकती है।

26. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पार्टियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (<https://www.dgtr.gov.in>) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ताकि जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत और अवगत कराया जा सके।

द. अंतिम तिथि

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी/प्रस्तुतीकरण नामित प्राधिकारी को ईमेल पते dir11-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और dd16-dgtr@gov.in एक प्रति के साथ adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन/दस्तावेजों का गैर-गोपनीय संस्करण नामित प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या (घ) सरकार ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में निर्यात करने वाले देशों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित किया है। यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकरण अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पक्षों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

30. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगती है, उसे नियम के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना चाहिए 6(4) विज्ञापन विज्ञापन नियम, 1995 और इस तरह के अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आने चाहिए।

घ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर गोपनीय प्रस्तुतियाँ देता है या जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

32. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियम के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण युक्त कारणों का एक विवरण, 1995, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस, इस तरह का सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
36. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुच्छेद 28 में दर्शाए गए आवेदन/दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. कोई भी प्रस्तुतिकरण उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया है, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
39. प्राधिकरण प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने और संतुष्ट होने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
40. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।

ड. असहयोग

41. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझती है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE
(Ministry of Commerce and Industry)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June 2024

Case No. AD (OI)-15/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Glass Fibre and articles thereof” originating in or exported from Bahrain, China PR and Thailand.

F. No. 6/17/2024-DGTR.—Owens-Corning (India) Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of ‘Glass Fibre and articles thereof’, originating in or exported from Bahrain, China PR and Thailand (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

A Product under consideration

3. The product under consideration for the subject investigation is ‘Glass Fibre and articles thereof’, including glass roving, both assembled rovings (AR) and direct rovings (DR), glass chopped strands (CS) and glass chopped strands mats (CSM). The product under consideration, hereinafter, is also referred to as the ‘PUC’ or the ‘subject goods’ or ‘glass fibre’)

4. The product under consideration is manufactured using key raw materials such as limestone, clay and magnesium. The manufacturing process includes batching or mixing of certain minerals, melting of the minerals in a furnace at a high temperature, fiberization, sizing, curing and finally, fabrication.

5. The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a. glass wool,
- b. fibre glass wool,
- c. fibre glass insulation in wool form,
- d. glass yarn,
- e. glass woven fabrics,
- f. glass fibre fabric,
- g. glass woven rovings,
- h. chopped strands meant for thermoplastic applications,
- i. micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,
- j. surface mat/surface veil/tissue,
- k. wet chopped strands,
- l. cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement).

6. The subject goods are classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act under the heading 7019. The subject goods are classified and have been imported under a number of codes, including 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 13 00, 7019 14 00, 7019 15 00, 7019 19 00, 7019 61 00, 7019 63 00, 7019 69 00, 7019 71 00, 7019 72 00, 7019 80 00 and 7019 90 00. Prior to 1st January 2022, the subject goods were imported under 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 00, 7019 31 00, 7019 32 00, 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 51 00, 7019 52 00, 7019 59 00, 7019 90 10 and 7019 90 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.

7. The following product control numbers (PCNs) have been proposed by the applicant for the purpose of the present investigation, considering the difference in terms of cost and price.

S.N.	Type of product under consideration	Code Description
1.	Direct glass rovings	DR or T-30
2.	Assembled glass rovings	MER
3.	Glass chopped strands	DUCS
4.	Glass chopped strand mats	CSM

8. The parties to the present investigation may provide their comments, on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application/documents filed before the Authority as indicated in paragraph 28 of this initiation notification.

B Like article

9. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and those exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C Domestic industry & standing

10. The application has been filed by Owens Corning (India) Private Limited. Apart from the applicant, there is one other domestic producer engaged in the manufacturing of the like article in India, namely, Goa Glass Fibre Limited. As submitted, the applicant and Goa Glass Fibre Limited are the only two producers of the PUC in India and their production together constitutes 100% of the total domestic production in India out of which applicant accounts for 84% of the total domestic production. The applicant has further stated that it has imported the PUC from the subject countries and is related to exporters in the subject countries. However, the Authority notes that the imports made by the applicant are miniscule.

11. In view of the above, the Authority *prima facie* considers that the applicant constitutes the ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

D Subject countries

12. The subject countries for the present investigation are Bahrain, China PR and Thailand.

E Period of investigation

13. The applicant has proposed 1st April 2023 to 31st December 2023 (9 months) as the period of investigation in its application. However, the Authority has considered the period of investigation (hereinafter referred to as the ‘POI’) from 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months) and the injury examination period as 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, and the POI for the purpose of the present investigation.

F Procedure

14. The provisions stipulated in of Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

G Basis for alleged dumping

Normal value for China PR

15. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

16. Therefore, for the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Normal Value for Bahrain and Thailand

17. The applicant has claimed that the data relating to price in Bahrain and Thailand is not available in the public domain. It is also noted that the export price of the subject goods from third countries to other countries is also not available in the public domain.

18. Therefore, for the purpose of initiation, the normal value has been calculated based on the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of normal value during the investigation.

Export price

19. The export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data provided by Directorate General of Systems. The Authority has, thereafter, made necessary adjustments to arrive at the net export price.

Dumping margin

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

H Injury and causal link

21. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries is significant in absolute as well as relative terms. The applicant contends that the subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. The price undercutting from the subject countries as a whole is positive. The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the domestic industry from achieving a reasonable rate of return. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry during POI as compared to the previous year.

I Initiation of the anti-dumping investigation

22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J Submission of information

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. Interested parties are strongly advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K Time Limit

28. Any information/submission relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dir11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application/documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L Submission of information on confidential basis

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the application/documents as indicated in paragraph 28 of this initiation notification.

37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

M Non-Cooperation

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority